न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)
दिनांक–19.3.19

मि.न.– 63 / 2019

सरकार बनाम श्रीराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरूषोतमपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम बेरी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 952 रकबा 0.89है0 किस्म जमीन गै0 मु0 पहाड मेंसे 0.06है0 पर श्रीराम, छोटू पुत्रान रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने छडी, कडब व खाई खोदकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये । गैरसायलान ने जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैरसायलान ने अपने जवाब में कथन किया है कि राजस्व ग्राम बेरी के आराजी ,खसरा नंबर 952 किस्म गै0मु0 पहाड से उत्तरी साइड में हमारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 951,950 है जिसके हम खातेदार एंव कब्जेदार हैं। जो सिवायचक भूमि से सटी हुई है। अतः हम हमारी भूमि के भरोसे में ही कब्जा (छडी वगै0)जो दक्षिण साइड पशु आदि से कृषि भूमि रक्षा हेतु कर रखी थी । जिसका कब्जा छोड रखा है। अतः हमारे हिसाब से तो हम हमारी कृषि भूमि पर ही कब्जा कर रखा है। हमारी खातेदारी भूमि की पशु आदि से रक्षा करने हेतु खाइ खोदी गई है। बाकी हमने किसी प्रकार का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा वर्तमान में छडी ,कडब को हटवा लिया गया है। वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ,पटवारी रिपोर्ट एवं गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब पर किया तो विवेचन में पाया कि वाके ग्राम बेरी के खसरा नंबर 952 / 0.89 किस्म जमीन पहाड पर गैर सायलान का अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है। जिसके विरूद्व हटवाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः गैर सायलान श्रीराम ,छोटू पुत्रान रामनारायण जाति गूर्जर निवासी बेरी को वाके ग्राम बेरी के खसरा नंबर 952/0.89 किस्म जमीन गै0मु0पहाड में से 0.06 पर अतिकमि घोषित किया जाकर अतिकमि को उक्त आराजीयात से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 0.06का पचास गुणा 3 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।